

**आपूर्ति के लिए (आयातित स्टील सामग्री)  
मानक नियम एवं शर्तें**

**निर्देशिका**

1. सामान्य
2. कोटेशन और आदेश स्वीकृति शर्तें
3. पैकिंग, शिपिंग, बीमा एवं भाड़ा विवरण तथा सुपुर्दगी
4. गारंटी / वारंटी
5. गुणवत्ता प्रमाणन
6. भुगतान की शर्तें
7. निरीक्षण, परीक्षण और कमीशनिंग असिसटेन्स
8. विविध

**अनुलग्नक:**

1. स्टैक्स स्वीकृत प्रारूप
2. बीड बांड / बयाना बैंक गारंटी फार्मेट
3. सुरक्षा जमा बैंक गारंटी फार्मेट
4. शिपिंग निर्देश

**एसटी-1 सामान्य**

- **एसटी-101** शब्द क्रेता का अर्थ माझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) के सन्दर्भ में है यह भारतीय कम्पनीज अधिनियम 1913 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है और इसमें इसके उत्तराधिकारी अथवा अशाईन्स शामिल हैं।
- **एसटी-102** शब्द ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता का अर्थ उन व्यक्तियों / फर्मों/कम्पनीयों से हैं जो केन्द्र द्वारा समय-समय पर उनका निर्माण करने और अथवा आपूर्ति करने अथवा किसी स्वरूप का कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाती है और इसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
- **एसटी-103** शब्द 'स्वामी/स्वामित्व' का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी से है जिसे माझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (क्रेता) कोई कार्य पूरा करने के लिए किसी आदेश के संबंध में अनुबंध निर्माता/ आपूर्तिकर्ता से इस अनुबंध के अंतर्गत आपूर्ति के लिए अथवा कुछ सामग्री/ मर्दों के निर्माण हेतु है जिसमें भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पाद एवं आपूर्ति विभाग, भारतीय नौसेना, तटरक्षक और किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरण का समावेश है।

**एसटी-104** निर्माता / आपूर्तिकर्ता या तो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से अपने अधिकार की विक्री, हस्तांतरण, प्रतिनिधि अथवा अन्य रूप में अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों का निस्तारण

अनुबंध के अंतर्गत उसके तथा क्रेता के बीच हुए हैं का क्रेता से पूर्ण लिखित अनुमति के बिना नहीं कर सकता है।

**एसटी-106** अनुबंध उद्देश्य के लिए क्रेता द्वारा कोई पत्र, प्रतिकृति संदेश, ई-मेल सूचना अथवा अधिसूचना अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता को अंतिम ज्ञात पत्ते पर भेजने पर जो प्रस्ताव /आदेश में उल्लिखित हो, उसे वैध सन्देश माना जायेगा।

**एसटी-107** क्रेता को किसी एक अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार करने अथवा इन्कार करने का अधिकार है यदि निविदा को पूर्ण रूप से वापस लेने का अधिकार बिना कोई कारण बताये है।

**एसटी-2. कोटेशन और आदेश स्वीकृति शर्तें:**

**एसटी-201** निविदाकर्ता का निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इनके अनुपालन असफल होने पर निविदाकर्ता अयोग्य हो सकता है।

- अ. सभी लिफाफों पर बड़े अक्षरों में निविदा संख्या और नियत तिथि लिखना आवश्यक है।
- ब. निविदा नियति तिथि और समय पर या पहले पेश होनी चाहिए।
- स. विनिर्देशन के अनुसार प्रस्तुत होना चाहिए और निविदा शर्तों का अनुपालन होना चाहिए।
- द. लिफाफा उचित ठंग से सील होना चाहिए।

**एसटी-202** जब तक अन्य रूप में कहा न गया हो, प्रस्ताव केवल दो बोली प्रणाली में होगा और अलग-अलग दो सीलड लिफाफों में होगा।

अ. भाग-।- टैकनो कामर्शियल बीड का प्रकार चिन्हित हों/इसके अलावा भाग-।। में शामिल होंगे।

i) प्रोफार्मा प्राईस सीडूल बैंकिंग विथ प्राइसेज और निर्दिष्ट कोटेड/नान कोटेड (निविदा में प्रत्येक मद के समक्ष जैसा कि लागू हो)

ii) चुंगी/कर, आकट्राय, फ्रेट चार्ज, बीमा और कोई अन्य वैधानिक कर देय, घटनाओं का विशेष स्पष्ट व्योरा देते हुए/अलग से प्रत्येक शीर्ष के समक्ष देना चाहिए।

iii) प्रत्येक शीर्ष के समक्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए लागत प्रभाव कम्पनी में सुपुर्दगी, अथवा एफ और आर/एफओबी/सी एंड एफ अथवा अतिरिक्त कार्य प्रभार सहित प्रैकिंग एवं फारवर्डिंग के लिए देना होगा।

iv) कम्पलायंस स्टेटमेन्ट में स्पस्ट रूप में विचलन/अपवाद को हाईलाईट करना चाहिए, यदि कोई हो, जो आपूर्ति के तकनीकी विनिर्देशन/ मानक नियम और शर्तों, विशिष्ट निविदा शर्तों के अनुरूप हो। विचलन के अर्निदिष्ट के समय कोई अथवा सभी उपबंधों को अनुपालन के अर्थ में माना जायेगा जो किसी अथवा सभी निविदा शर्तों में हो। स्टैक्स में कोई विचलन जिसका वित्तीय उलझन हो, तो कोटेड प्राईस लोड करने के लिए उचित रूप से विचार करना होगा। (स्टैक्स स्वीकृति प्रारूप अनुलग्नक-1 में रखा गया है) ।

v) अ) स्वदेशी आपूर्ति के लिए कुल बोली मूल्य का 2% बयाना राशि जमा माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होना चाहिए। अथवा निविदा में निर्धारित बीडबांड के मूल्य सामान राशि देय होगी जो भी लागू हो।

ब) आयात/विदेशी आपूर्ति की बयाना राशि जमा कुल निविदा मूल्य का 2% अन्तरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के बैंक से बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा निविदा में उल्लिखित बीडबांड मूल्य विदेशी बोलीकर्ता / आपूर्तिकर्ता को क्रेता द्वारा प्रदान किये गये प्रारूप में प्रदान करना होगा। प्रारूप अनुलग्नक - 2 में दिया गया है।

vi) आई एस 9000: 2000 की प्रति अथवा समकक्ष गुणवत्ता प्रणाली मानक प्रमाण पत्र वैध तिथि के साथ।

vii) वैध निर्यात लाइसेन्स की प्रति

viii) सुपर्दगी तालिका

ब. भाग -II- 'प्राईस बीड' - अक्षरों तथा अंको में कोट लिखित होना चाहिए जो उचित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित/हस्ताक्षरित और इस प्रकार चिन्हित हो।

### एसटी-203

अ) ये दोनो मुहर बंद लिफाफे - भाग-I- और भाग-II- तीसरे लिफाफे में उचित रूप से बड़े अक्षरों में लिखकर यथा निविदा संख्या एवं नियत तिथि सहित उचित रूप से मुहर बंदकर 14.00 बजे तक सामग्री समूह, 2री तल, मुगल हाउस अथवा पूर्वखंड वाणिज्य अनुभाग , VI फ्लोर, 'ए' बिल्डिंग अथवा ऑफशोर वाणिज्य अनुभाग, 1ली मंजिल, माझगांव डॉक हाउस के निविदा वाक्स में जमा करना होगा जो निविदा बंद की निदिष्ट समय से पहले हो। विदेशी बीडर/आपूर्तिकर्ता को अपना प्रस्ताव अपर महाप्रबंधक (सामग्री) को सम्बोधित करते हुए मुगल हाउस माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड डाकयार्ड रोड मुंबई 400010 के पते पर या तो कुरियर सेवा से अथवा स्पीड पोस्ट से निविदा बंद होने की तिथि से 48 घंटा पहले पहुंचाना चाहिए अथवा हाथ से सुपर्दगी निविदा बंद होने की तिथि तथा समय से पहले करनी होगी। क्रेता किसी पोस्टल/कुरियर विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और यह आरोप मुख्य रूप से निविदाकर्ता पर होगी।

आ) दो बोली सिस्टम का प्रस्ताव फैंक्स/ई-मेल से प्राप्त होने पर अथवा प्रस्ताव निर्धारित तिथि और निविदा समय के बाद प्राप्त होने पर निरस्त होने योग्य है।

**एसटी-204** अ) प्रस्ताव 90 दिनों के लिए बैध तथा स्वीकार्य होगा और मूल्य निश्चित और स्थायी होगा जब तक कि सामग्री की कुल मात्रा की सुपर्दगी क्रेता के यार्ड में नहीं होती है। यदि नहीं होती है तो निर्माता/ आपूर्तिकर्ता को अवधि की सूचना देनी चाहिए जिसमें कोटेड प्राईस सामग्रियों/ मदों के आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया है वे क्रेता के यार्ड के लिए एफओबी के साथ-साथ सी एंड एफ के आधार पर वैध रहेगी।

i. यदि क्रेता उपकरण सामग्री की सुपर्दगी करने को रोकने की इच्छा करता है जो प्रस्ताव के वैधता अवधि के भीतर या बाहर हो और निर्माता/आपूर्तिकर्ता को सूचित करना होगा।

**और**

ii. सुपर्दगी के स्थगन के लिए प्रभावी नियम एवं शर्तें मुख्य वैधता अवधि के बाहर हो।

आ) क्रेता अपने विवेक पर और बिना कोई कारण बताये

i. निर्दिष्ट मात्र के विरुद्ध क्रय आदेश के किसी अंश में अथवा पूर्ण रूप में।

ii. निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट मात्रा में बढ़ाने अथवा घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो वास्तविक मांग पर आधारित होती है और परियोजना के अंतिम रूप देने तक।

iii. योग्य निविदाकर्ता के विरुद्ध कुल आदेश की मात्रा को बांटना।

iv. जाम किए गए निविदा को केवल एफओबी के आधार पर अथवा सी एंड एफ के आधार पर निरस्त किया जाए और अथवा प्रस्ताव को वैध न किए बिना खारिज किया जाए।

v. ओएफबी के सफल निविदा के समाप्त अनुबंध और सी एंड एफ, मुंबई के आधार पर क्रेता का विकल्प।

ई) प्रत्येक मद के विरुद्ध मूल्य रूप से एफओबी के लिए अंकित होना चाहिए जिसमें पैकिंग, यातायात और शिपमेंट के पोर्ट पर सुपर्दगी शामिल है।

### **एसटी-205**

निर्माता /आपूर्तिकर्ता क्रेता को अग्रिम में सूचित करना होगा कि किसी भी कारण से निविदा में शामिल होने में असमर्थ है। इसके अनुपालन में असफल होने पर गंभीरता से विचार किया जायेगा और लगातार 03 बार असफल होने पर निर्माता /आपूर्तिकर्ता/ आयोग्य होने के लिए जिम्मेदार होगा और उस निर्माता /आपूर्तिकर्ता को भविष्य में सभी निविदा जांच से 'अनुमोदित पंजीकृत विक्रेता' और अथवा सूची से प्रतिबंधित किया जायेगा।

### **एसटी-206**

निविदायें निर्धारित तिथि पर 15.00 बजे क्रय विभाग दूसरा महला मुगल हाउस में खोले जायेंगे निविदाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को ही केवल निविदा खुलने के समय भाग -I के प्रेस

निविदा में उपस्थिति की अनुमति हैं निविदा खोलने में न तो विलम्ब होगा अथवा रोका जायेगा या स्थगित किया जायेगा चाहे किसी एक या अनेक निविदाकर्ता अनुपस्थित हो। सभी लिफाफे जिन पर 'प्राईस बीड' चिन्हित किया गया है और निविदा खुलवाने की तिथि नोट की जायेगी और अलग से अनओपेन्ड रखा जायेगा।

### **एसटी-207**

केवल प्रेस निविदा के मामले में अधिकृत तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधि जिन्होंने बयाना राशि/बीडबांड पेश किया है, जैसे कि लागू हो और निविदा शर्तों के अनुपालन सहित, केवल, ऐसे प्रतिनिधि को प्राईस बीड- भाग-।। की प्रोसीडिंग नोट के समय उपस्थित होने की अनुमति होती है जब निविदा खोलने वाले अधिकारी के निर्देश प्रणाली से निविदा खोली जाती है। पात्र निविदाकर्ता जो प्राईस बीड खुलने के समय उपस्थित हैं उसे बाद की तिथि पर प्राईस की सूचना प्रदान नहीं की जायेगी। अससफल निविदाकर्ताओं को बयाना राशि की वापसी मनी रसीद/बीडबांड की मूल प्रति जमा करने पर आदेश निर्धारण के 7 दिन के भीतर प्रदान किया जायेगा। बयाना राशि का दावा यदि निविदाकर्ता अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर नहीं करता है तो यह जब्तकर ली जायेगी।

### **एसटी-208**

निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत क्रय आदेश प्राप्ति की पावती मिलने पर कोई विलम्ब होने पर अथवा क्रय आदेश रूपांतरण ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रय आदेश पावती में करने पर यह अनुबंध का उल्लंघन माना जायेगा।

इसके कारण हानि होने पर क्रेता द्वारा निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई बयाना राशि, इन्वोकिंग बीड सिक्योरिटी / बीड बांड जफ्तकर वसूली की जायेगी। यदि ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के बोली में कोई शर्त और पत्राचार निहित हो जो नोटिस इन्वारिंग टेंडर (एनआईटी) के प्रतिकूल हो तब उन्हें सुपरसीडेड माना जायेगा और क्रेता द्वारा बीड स्वीकार करने पर वायंड (शून्य) माना जायेगा।

क्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली निर्माता / आपूर्तिकर्ता की बयाना राशि / बीड सिक्योरिटी अथवा इन्वोकिंग बीड बांड से करने पर अनुबंध निरस्त माना जायेगा जो क्रेता द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर कायम किया गया था।

### **एसटी-209 सुरक्षा जमा**

सफल विदेशी निविदाकर्ता को सुरक्षा जमा के रूप में आदेश मूल्य का 5% बैंक गारंटी अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के बैंक द्वारा क्रेता के पक्ष में देना होगा। इसके लिए फार्मेट क्रेता द्वारा इसके लिए प्रदान किया जायेगा (अनुलग्नक-3)। बैंक गारंटी केवल आदेश के सफल निष्पादन के बाद वापस की जायेगी। निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा आदेश का संतोषजनक कार्य करने में असफल होने य गलती करने पर सुरक्षा जमा जब्त कर लिया जायेगा।

## एसटी-210

निविदाकर्ता बीजक के सामने आपूर्ति हेतु थियोरिटिकल वेट के आधार पर मूल दर कोट करें। (वेट 7.85 मैट्रिक टन/ क्यूबिक मीटर के दर पर विचार किया जाएगा)। यदि प्रस्ताव एकचुयल वेट (भार) के आधार पर कोट किया गया है तो थियोरिटिकल वेट (भार) में 3% कोट मूल्य के आधार पर वेट (भार) के अंतर की गणना प्रस्ताव के मूल्यांकन हेतु किया जाएगा। बीजक के लिए कोई आधार न दिया गया हो तो यह मान लिया जाएगा कि बीजक थियोरिटिकल वेट (भार) के आधार पर ही है।

## एसटी-211

आदेश मूल रूप से एफओबी के आधार पर रखा जाएगा। हालांकि, क्रेता के विवेक पर आदेश में संशोधन/ सी एंड एफ आधार पर भी परिवर्तन किया जा सकता है। शिपमेंट को सीएफएस, मुलुंड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में कंटेनर कार्गो के लिए भेजा जाएगा और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को क्रय आदेश में अंकित होने पर बल्क कार्गो को तोड़ने के लिए भेजा जाएगा।

## एसटी-3 पैकिंग, शिपिंग बीमा एंड भाड़ा विवरण और सुपुर्दगी:

### एसटी-301

थिनर प्लेट्स की (जैसे शीट) मोटाई 2 मिमी और 5 मिमी के बीच बंडल में पैक होना चाहिए और 1.5 मीटर के लंबाई अंतराल में बाँधना होगा ताकि हैंडलिंग और पारगमन के दौरान बलकिंग से बचा जा सके। प्रत्येक बंडल में एक समान आकार का प्लेट और विशिष्टता होना चाहिए और उसका वजन 2 टन से अधिक नहीं होना चाहिए।

### एसटी-302

प्रत्येक पैकेज में वैक पैकिंग सूची तीन प्रतियों में रहना चाहिए और आदेश संख्या पैकेज नम्बर कन्साइन्मेंट में केसों की संख्या विवरण, प्रत्येक मद की मात्रा, पैक सहित स्पष्ट रूप से पैकिंग सूची में दर्शाया होगा। विवरण और प्रत्येक मद की मात्रा मिलान आदेश में उल्लिखित से करना होगा, जहाँ कहीं लागू हो।

### एसटी-303

स्टोरेज और डीमरेज का दावा निर्माता / आपूर्तिकर्ता सभी शिपमेंट के लिए करेगा जो हम तक बिना उचित प्रेषण दस्तावेजों, लारी रसीदों के पैकिंग सूची, इन्वायस इत्यादि भेजे जायेगे। अनुबंधकर्ता / आपूर्तिकर्ता द्वारा विवरण में गलती अथवा चूक, वजन अथवा मापन और बढ़े हुए हैंडलिंग चार्ज अनुचित पैकिंग के कारण, जुर्माना के लिए जिम्मेदार होंगे।

### एसटी 304 शिपिंग निर्देश:

शिपमेंट को संलग्नक-4 में वर्णित शिपिंग निर्देश 'आपूर्ति के निर्धारित नियम एवं शर्तों' के अनुसार व्यवस्थित करना होगा।

- i. प्रेषण की शिपिंग व्यवस्था का आयोजन मेसर्स ट्रांसचार्ट, स्थल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, नामित फोर्वर्डिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। कोनसाइनमेंट को अलग-अलग फॉरवर्डिंग एजेंट को मुंबई, भारत में प्रेषण करने हेतु तुरंत भाड़ा लेने के आधार पर, यदि अनुबंध अथवा आदेश एफओबी शर्तों पर है तो अग्रेषित किया जाए।
- ii. यदि, आदेश सी एंड एफ के आधार पर दिया गया है, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि वेजेल में किया गया शिपमेंट 15 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो बीमा का प्रीमियम एमडीएल द्वारा वहन किया जाएगा। यदि वेजेल के शिपमेंट पर 15 वर्ष से अधिक किया गया हो वह सामान्य और ओवरएज बीमा प्रीमियम का अंतर लागू वेजेल पर निर्माता/ आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

### एसटी-305 बीमा

पारगमन बीमा की व्यवस्था क्रेता द्वारा की जायेगी। निर्माता/ आपूर्तिकर्ता, मर्दों के प्रेषण पर तत्काल, प्रेषित सामग्री की सूचना जैसे आदेश संख्या, लैंडिंग संख्या का बिल, पैकेजों की संख्या, प्रेषित का मूल्य, इन वाईस संख्या प्रत्यक्ष रूप से न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जनरल बीमा विभाग, वाणिज्य केंद्र पहला महला ताड़देव मुंबई 400034, फैंक्स नम्बर 91-022-4948559 को भेजेगें और हमारा एअर / मैरिन बीमा पालीसी संख्या 130500110000126 दिनांक 25.08.2000 को कोट करेगें।

### एसटी-306

जहाँ आदेश में इस प्रकार निर्धारित हो, निर्माता/ आपूर्तिकर्ता ऐसी रिपोर्ट समय समय पर अनुबंध की प्रगति के सम्बन्ध में और ऐसे प्रपत्र में जैसा कि क्रेता द्वारा माँगा जायेगा, प्रदान करेगें। क्रेता के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी आदेश को तत्काल बिना किसी वित्तीय उलझनों के दोनों तरफ से निरस्त कर सकता है। यदि निर्धारित सुपर्दगी अवधि में निर्माण की प्रगति 50% तक पूर्ण हो गई है तो वह क्रेता के संतुष्टी के अनुरूप नहीं है और निर्माता / आपूर्तिकर्ता की और से असफल होने पर सुपर्दगी कार्यक्रम का अनुपालन अपरिहार्य है। ऐसे घटना होने पर निर्माता / आपूर्तिकर्ता को सभी अग्रिम का पुर्न भुगतान प्रचलित बैंक दर के साथ (वर्तमान 14.5% प्रति वर्ष) ऐसे अग्रिम प्राप्ति की तिथि से पूर्ण भुगतान तिथि तक करना होगा।

### एसटी-401

सामग्री / मर्दों का निरीक्षण और अनुमोदन निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा करने उर निर्माता / आपूर्तिकर्ता को उपकरण / सामग्री गारंटी की जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं दिलाता है। यह निर्माता/ आपूर्तिकर्ता की प्रमुख जिम्मेदारी है आपूर्ति किये गये सामग्री/ मर्दों सभी तरह से पूर्ण

हो और अपना कार्य निष्पादन अपने रूपांकित भौतिक/ रासायनिक पैरामीटर से करना सुनिश्चित करें।

#### **एसटी-402**

यदि दोष की सूचना गारंटी अवधि के दौरान नियमित / निर्धारित समय के अन्दर सुधार नहीं किया जाता है तो क्रेता दोष का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया निर्माता/आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर कर सकता है लेकिन बिना पूर्वानुमान के किसी अन्य अधिकार को जो क्रेता के पास निर्माता / आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध असफलता के सम्बन्ध में निर्माता / आपूर्तिकर्ता को ऐसे दोष के लिए कर सकता है।

#### **एसटी-403**

निरीक्षण स्टार पर दोषपूर्ण/ रिजेक्टेड मैटेरियल देखे जाने पर अथवा निर्माण स्तर के दौरान पाये जाने पर यह निर्माता/ आपूर्तिकर्ता को वापस भेज दिया जायेगा, यदि वह इसके लिए इच्छुक हो। जो केवल एफओबी आधार पर और नामित शिपिंग एजेंट के माध्यम से प्रतिस्थापन सुविधा के लिए हो। ऐसे मामले में यदि निर्माता/ आपूर्तिकर्ता रिजेक्टेड सामग्री किसी कारण से चाहे जो कुछ भी हो लेने के लिए तैयार न हो, तो लागू सीमा शुल्क जो देय होगी, वह निर्माता/ आपूर्तिकर्ता से वसूलने योग्य की शर्त पर भुगतान की जायेगी।

#### **एसटी-5.0 गुणवत्ता प्रमाणन:**

##### **एसटी-501**

क्रय वरीयता का विचार उन अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता के मामले में किया जायेगा जिन्हें आईएसओ 9000:2000 का प्रमाण पत्र प्राप्त हो अथवा इसके समकक्ष अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली मानक उपकरण / उत्पाद के सम्बन्ध में और मर्दां पर निविदा में दिया हो।

##### **एसटी-502**

निर्माता/आपूर्तिकर्ता प्रमाण के रूप में, बीड दस्तावेज के भाग-1 में आईएसओ 9000:2000 की एक प्रति अथवा अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली मनको के समकक्ष प्रमाण पत्र उक्त तिथि तक वैध प्रस्तुत करेंगे।

##### **एसटी-503**

निर्माता/आपूर्तिकर्ता उपठेकेदारों को नियुक्त करेंगे और आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति उपलब्ध करायेगें जिसके लिए पूर्व अनुमोदन क्रेता से लेंगे और ऐसे उप ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता भी आईएसओ 9000:2000 अथवा किसी समकक्ष अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली मानक से प्रमाणित होंगे।



## एसटी-504

यदि निर्माता/आपूर्तिकर्ता के पास आईएसओ 9000:2000 प्रमाणित फार्म नहीं है तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से लिखित होना चाहिए और गुणवत्ता एसुरेंस / कंपनी के गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान का विस्तृत ब्योरा लिखित होना चाहिए। ऐसे विवरणों /दस्तावेजों की गहन जाँच के बाद क्रेता प्रस्ताव पूर्व शर्त के साथ निर्दिष्ट स्वीकार कर सकता है अथवा प्रस्तुत की गई बोली को निरस्त कर सकता है।

## एसटी-6.0 भुगतान की शर्तें:

### एसटी-601

जब तक अथवा अन्य रूप में पारस्परिक सहमती हो और आदेश ने निर्धारित हो, भुगतान की शर्तें आदेश मूल्य 90% सामग्री प्राप्त स्वीकार्य गुणवत्ता / मात्रा के साथ पूर्ण दस्तावेज सेट सहित, निरीक्षण रिपोर्ट आदि जो लागू हो, की तिथि से 30 दिन के भीतर क्रेता के बैंकको निम्नलिखित दस्तावेजों के प्राप्त पर भुगतान किया जायेगा। साखपत्र आंशिक शिपमेंट के लिए अनुमति देगा।

- अ. मूल और चार लैंडिंग/ एयरवे बिल की प्रतियाँ।
- आ. पैकिंग सूची के साथ मदनसुअर एफओबी मूल्य बीजक की छः प्रतियाँ।
- इ. प्रमाण पत्र पुष्टि करते हुए कि निर्माता/ आपूर्तिकर्ता ने नॉन निगोशिएबल प्रति को प्रत्यक्ष रूप से एअर मेल क्रेता को शिपमेंट पर तत्कात भेज दी गयी है।
  - i. लैंडिंग बिल की 2 प्रतियाँ
  - ii. बीजक की 3 प्रतियाँ
  - iii. पैकिंग सूची की 3 प्रतियाँ
  - iv. चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी मूल देश का प्रमाणपत्र की प्रतियाँ
  - v. मिल प्रमाणपत्र/ निर्माता परीक्षण प्रमाणपत्र की 3 प्रतियाँ
  - vi. निरीक्षण प्रमाणपत्र की 3 प्रतियाँ
  - vii. निर्माता/ आपूर्तिकर्ता का निरीक्षण प्रमाणपत्र और उपबंध संख्या एसटी-7 के अनुसार अनुमोदन।
  - viii. निर्माण दोष के विरुद्ध सुपर्दगी तिथि से तीन वर्ष के भीतर निर्माता/ आपूर्तिकर्ता वैध वारंटी।
- ई. निम्न प्रमाणपत्र शिपिंग दस्तावेज के साथ:-

“प्रमाणित किया जाता है कि जहाज से भेजी गई सामग्री का निरीक्षण किया गया और निर्धारित निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन अनुबंध की शर्तों के अनुसार/ क्रय आदेश और निरीक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यक प्रतियाँ जो जारी की गई हैं इसके साथ संलग्न हैं”।

- उ. मूल देश का प्रमाण पत्र, तीन प्रतियों में चेंबर आफ कामर्स द्वारा जारी।
- ऊ. वारंटी प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में।
- ऋ. निर्माता का कार्य परीक्षण प्रमाण /कार्यशाला परीक्षण प्रमाण पत्र 06 प्रतियों में।
- लृ. एसबीएस एलआरएस/ डीएनवि / बीवि / डीओटी से अनुमोदित और निरीक्षित प्रमाण पत्र की 3 प्रतियां अथवा कोई अन्य नामित निरीक्षण प्राधिकारी (जो भी लागू हो)।
- एँ. परिसमापन क्षति/ जुर्माना के समक्ष सुपुर्दगी तालिका के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

सभी दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से बीजक, पैकिंग नोट और लैंडिंग बिल में क्रय आदेश संख्या, आयत लाइसेंस संख्या लैंडिंग बिल संख्या और दिनांक और बीजक दिनांक और पैकिंग सूची सूचित होना चाहिए।

शेष 10% राशि का भुगतान स्थानांतरण के माध्यम से क्रेताओं के यार्ड में निरीक्षण रशीद सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद भुगतान किया जायेगा। अन्य कोई कटौती और परिसमापन क्षति की वसूली की जायेगी जो लागू हो, यदि कोई हो, आपूर्तिकर्ता से वसूल की जाएगी।

#### **एसटी-602 परिसमापन क्षति/जोखिम क्रय:**

एसटी-602.1 ऐसे मामले में-

- अ) निर्माता/आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) सामग्री/ मर्दों अथवा क्रय आदेश की शर पर दस्तावेज मीटिंग निर्धारित तिथि से पहले या तक सुपुर्दगी करने में असफल होता है अथवा
- ब) सामग्री/ मर्दों का परीक्षण जब क्रय आदेश के कार्य निष्पादन शर्त के अनुसार किया गया तो वह क्रेता के कार्य निष्पादन मानक को पूरा करने में असफल हुआ। इससे क्रेता को एक बड़ी राशि की हानि उठानी होगी जिसकी निश्चित तथ्यता के साथ गणना करना सुप्रभाव्य नहीं होगा। इसलिए कोई परिसमापन क्षति तत्काल क्रय आदेश में एक तर्क पूर्ण क्षति राशि का निर्धारण प्रस्तुत करता है जिसे क्रेताओं सहन करना होगा और यह जुर्माना नहीं है। विक्रेता एतदद्वारा ऐसा कोई बचाव क्रेताओं को परिसमापन क्षति की वसूली को छोड़ देता है इस निवेदन पर कि वास्तविक क्षति का पता लगाया जा सकता है अथवा ऐसे परिसमापन क्षतियाँ एक तर्क पूर्ण निर्धारण क्षतियों का प्रस्तुत नहीं करती हैं। जो क्रेता वहन किया गया अथवा जुर्माना है।

#### **एसटी-602.2**

निर्माता/आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) क्रय आदेश में लिखित उत्पाद के विलम्ब से सुपुर्दगी के लिए परिसमापन क्षति का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। जब तक कि अन्य रूप में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न हो। उत्पाद के विलम्ब से सुपुर्दगी के परिसमापन क्षति पर प्रति सप्ताह अवितरित उत्पाद के लिए कुल मूल्य का 0.5% और अधिकतम 5% तक होगा। ऐसी परिसमापन

क्षति क्रेता द्वारा निर्माता/आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) द्वारा परिसमापन क्षति के लिए किया गया भुगतान किसी अन्य उपाय के अलावा होगा (क्षति की वसूली के लिए कोई अन्य उपाय) जो क्रेता को उपलब्ध हो, इसमें डिफाल्ट के लिए आदेश का निरस्तीकरण बिना किसी परिसीमा के सहित कर सकता है।

### **एसटी-602.3**

यदि सामग्री/ मर्दे अथवा उसका कोई भाग निर्धारित तिथि पर सुपुर्दगी नहीं किया गया है तो क्रेताओं को छूट होगी कि वह बिना पूर्वाग्रह के क्रेता परिसमापन क्षति/जुर्माना जो इन शर्तों में प्रदान किया गया हो। अथवा अन्य कोई उपाय अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए कर सकता है। वह अनुबंध को पूर्ण रूप से अथवा गलती की सीमा तक निरस्त कर सकता है। अग्रिम राशि अथवा उसका अंश आपूर्ति के सम्बंध में निर्माता/आपूर्तिकर्ता से वसूल किया जायेगा जो वर्तमान बैंक ब्याज दर 14.5% प्रति वर्ष होगा।

### **एसटी-602.4**

क्रेता को अधिकार होगा कि वह क्रय, अथवा आपूर्ति स्टाक से करेगा जैसा वह उचित समझे, उसी प्रकार की अन्य सामग्री अथवा समान विवरण की सामग्री बनाना जिसमें गलती हुई है अथवा अनुबंध निरस्त होने के मामले में इसके अंतर्गत अनडीलीवर्ड शेष सामग्री/ मर्दे हो। क्रय आदेश का अतिरिक्त मूल्य, निर्माण लागत अथवा स्टाक से आपूर्ति की गई किसी सामग्री/ मर्दों का मूल्य, जैसा मामला हो अनुबंध मूल्य से अधिक निर्माता/आपूर्तिकर्ता से वसूल किया जायेगा।

### **एसटी-603**

अनुबंध के अंतर्गत राशि का भुगतान मियादी साखपत्र के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि मियादी अवधि के लिए ब्याज क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। यह 180 दिनों की क्रेडिट अवधि की व्यवस्था क्रेता बैंकरों और उप निर्माता/ आपूर्तिकर्ता के बैंकरों के बीच में किया जाएगा। क्रेता द्वारा इस तरह की सुविधा का लाभ उठाने के लिए उप ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता जिस बैंक से लेनदेन करते हैं उस बैंक और बैंक की शाखा का नाम के साथ अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे।

### **एसटी-604**

एक क्रय आदेश के अंतर्गत किया गया भुगतान किसी अन्य क्रय आदेश में एसाइंड या समायोजित नहीं किया जायेगा बशर्ते कि क्रेता द्वारा लिखित रूप में सहमति हो।

## एसटी-7.0 निरीक्षण और परीक्षण:

### एसटी-701

आदेश पर स्टील सामग्री का निरीक्षण एक या एक से अधिक निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता और मात्रा के लिए किया जाएगा और निरीक्षण प्रमाणपत्र इन उपकरणों से संलग्न होगा।

वैधानिक : डी ओ टी अथवा एन एम डी अथवा सरकारी एजेंसी।

नियंत्रक : क्लासिफिकेशन सोसाइटी - एल आर एस; ए बी एस; डी एन वी बी वी इत्यादि।

अन्य: स्वामित्व, डबल्यू पी एस (एमबी), एमडीएल।

### एसटी-702

यह निर्माता/ आपूर्तिकर्ता की ज़िम्मेदारी होगी कि ऐसे स्टील सामग्री जो पूरी तरह से निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षित, अनुमोदित और प्रमाणित हो वही शिपड हो।

### एसटी-703

निर्माता/ आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेता के यार्ड में आपूर्ति की गई सामग्री की प्राप्ति फ्रेशली टोल्ड/ उत्पादन शर्त के अनुसार हो अथवा अनुरूप हो जैसा कि अनुबंध/ क्रय आदेश/ सम्बंध विनियमन मानकों के अनुमान हो आपूर्ति की गई सामग्री का भी निरीक्षण क्रेता के यार्ड में प्राप्त होने पर इसके प्रति निधि इसके ग्राहक के प्रतिनिधियों की द्वारा जांच की जाती है जिसमें सामग्री को शुद्धता और स्थिति तथा भेजे गए दस्तावेजों की जांच प्रत्येक प्रेषण के लिए स्थापित किया जाता है।

### एसटी-704

निर्माण/ आपूर्तिकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए।

- क) सभी प्लेट्स/ एक्सन्स का निरीक्षण किया जाना चाहिए और पर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी/ क्लासिफिकेशन सोसायटी द्वारा मुहर लगानी चाहिए जो क्रेता के आदेश शर्तों के अनुसार हो, इस प्रापण के साथ की सभी परीक्षण विनिर्देशन के अनुसार पूरे किये गये हैं।
- ख) रिम्मड अथवा कैपड स्टील की आपूर्ति नहीं की जायेगी/ स्वीकार्य नहीं होगी/ अपूरी की गई सामग्री, प्रमाणित, सही और अशुद्धता से मुक्त तथा निर्माण दोषरहित होना चाहिए जैसे एग्रीगेशन, क्रैक्स, और लैमीनेशन अथवा सरफेक्स (एतदी दरार) फ्लाज जो इनका उपयोग जहाज निर्माण में प्रतिवाधित कर सकता है।
- ग) प्रत्येक प्लेट पीस/ सेक्शन को सुपाठ्य रूप से, प्राथमिकता से हाई डाई स्टैंपिंग टीट के लिए/ कास्ट नम्बर के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए।/ प्लेट नम्बर्स पहचान के लिए किया

जाना चाहिए और इसके द्वारा स्टील को सम्बंध परीक्षण प्रमाण के सम्बंध में जोड़ा जा सकता है।

- घ) निर्माण/ आपूर्तिकर्ता को उचित रूप से हस्ताक्षरित सम्बंध जांच प्रमाण पत्रों की आपूर्ति करनी चाहिए जिसमें निर्माण की प्रक्रिया दर्शाते हुए, रासायनिक और मैकेनिकल परीक्षणों का परिजन जिसमें सभी विनिर्देशन परीक्षण सामग्री के लिए शामिल होगा। प्रत्येक जांच प्रमाण पत्र में टीट नम्बर और अन्य पहचान चिन्ह रखना होगा जैसे कि वह सामग्री के साथ को-रिलेटेड होगा। प्रत्येक परीक्षण में क्रेता का आदेश नम्बर लिखा होना चाहिए।
- ड) जांच प्रमाण पीटीआर एकआरएस/ एबीएस/ क्लासी फिकेशन सोसायटी/ नामित निरीक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो यह मिल्क क्वालिटी कंट्रोल प्रमाण पत्र के आपूर्तिकर्ता निरीक्षण एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, यह पुष्टि करते हुए कि स्पेसीफिकेशन रिकवायरमेंट के अनुसार स्टील की जांच किया है।

### एसटी-705

निरीक्षण प्राधिकारी का निर्णय अथवा उसके एजेंट जैसा मामला हो, उद्देश्य के प्रश्न पर अर्थ और विनिर्देशक क्षेत्र/मानक आखिरी होंगे और निर्माता/आपूर्तिकर्ता पर बंधनकारी और निर्णायक होगा।

### एसटी-706

निर्माता/आपूर्तिकर्ता, क्रेता के निरीक्षकों/निजी /नामित एजेंसी को सभी सुविधायें निरीक्षण/परीक्षण के लिए निर्माण और आखिरी परीक्षण के दौरान निर्माता/ आपूर्तिकर्ता के कार्यों को पूरा करने के लिए प्रदान करेगा।

### एसटी-8.0 विविधः

#### एसटी-801 अप्रत्याशित घटना

यदि किसी समय आपूर्ति आदेश के दौरान कार्य निष्पादन पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से या तो क्रेता अथवा अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी आकस्मिक परिस्थितियों के कारण कार्य निष्पादन रुक जाता है या विलम्बित होता है जैसे जन आंदोलन, नागरिक विद्रोह, तोड़फोड़, दुश्मनी, युद्ध, आग लगाना विस्फोट होना, महामारी संगरोधन प्रतिबंध, हड़ताल, लाकआऊट प्राकृतिक आपदायें जैसे बाढ़ आना, भूकम्प आना, ज्वालामुखी, तूफान अथवा अन्य कोई कारण जो दोनों पक्षों के नियंत्रण से बाहर हो, इसके बाड़ इसे घटना के रूप में उल्लेख किया जायेगा। ऐसी घटना के घटित होने की सूचना दोनों पक्ष एक दूसरे पक्ष को 21 दिनों के भीतर घटना की तिथि से देंगे इसलिए न तो कोई पक्ष ऐसी घटना होने के कारण अनुबंध को निरस्त करने का अधिकारी नहीं होगा और न तो किसी पक्ष को किसी क्षतिपूर्ति के लिए दावा दूसरे के समक्ष कार्य निष्पादन न होने के लिए अथवा अनुबंध/आदेश के निष्पादन में विलम्ब के सम्बंध में नहीं करेंगे। दोनों पक्षों की ओर से कार्य निष्पादन ऐसी घटनाओं के बाद जितना जल्दी

व्यावहारिक हो शुरू किया जायेगा। जब ऐसी घटना का अंत हो जायेगा या समाप्त हो जायेगी तो क्रेता का निर्णय कि कार्य को पुनः आरम्भ किया जाय अथवा न किया जाय, वह निर्णयक और आखिरी होगा।

कार्य निष्पादन पूर्णरूप से या कैपशन निविदा/अनुबंध के अंतर्गत आंशिक रूप से रोका जाता है या ऐसी किसी घटना के कारण 60 दिनों से अधिक अवधि के दौरान विलम्बित होता है तो दोनों पक्ष अपने विकल्प के अनुसार अनुबंध को निरस्त कर सकते हैं। आगे निविदा की कार्रवाई कर सकते हैं।

क्रेता अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता से आकस्मिक घटनाओं के घटने के सम्बंध में लिखित सूचना प्राप्त करने पर जैसाकि पारस्परिक सहमति है। सुपर्दगी कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है लेकिन वह निर्धारित सुपर्दगी तिथि से 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आकस्मिक स्थिति की घटनायें इस अवधि से आगे बढ़ जाती हैं तो क्रेता को अधिकार है कि वह बिना किसी वित्तीय उलझन के अथवा आपसी सहमति की शर्तों पर अनुबंध को निरस्त कर सकता है।

### **एसटी-802 विवाचन**

यदि कोई विवाद/विभेद अनुबंध के सम्बंध में दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण पारस्परिक रूप से समझौता द्वारा बातचीत के माध्यम से किया जायेगा। बिना दल वाले विवाद/विभेद यदि कोई हो तो विवाचन द्वारा निपटारा जायेगा और विवाचन की कार्रवाई मुम्बई-भारतीय विवाचन और कंसिलीएशन अधिनियम -1996 के अंतर्गत अंग्रेजी में की जायेगी। बिना दल विभेद/विवाद के मामले में क्रेता और निर्माता/आपूर्तिकर्ता के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने पर दोनों पक्षों द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग, वर्तमान दिशानिर्देश के अनुसार भेजा जा सकता है।

### **एसटी-803 एजेंस्ट्स/एजेंसी कमीशन:**

निर्माता /आपूर्तिकर्ता पुष्टि एवं घोषणा क्रेता को अपने वास्तविक स्थिति के बारे में या तो मूल उपकरण निर्माता अथवा स्टाकिस्ट/आपूर्तिकर्ता उपकरण/मशीनरी/मदों का ब्योरा इस अनुबंध में और यह कि उसने किसी व्यक्ति को अथवा फार्म को नियुक्त नहीं किया है चाहे वह भारतीय अथवा विदेशी जो कोई भी हो, मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा अथवा किसी तरह क्रेता को सिफारिश करेगा अथवा अपने किसी कार्यकारी को चाहे अधिकृत रूप से अथवा अधिकृत रूप से निर्माता / आपूर्तिकर्ता को अनुबंध प्रदान करेगा और न तो कोई राशि भुगतान किया है, वादा किया है अथवा किसी व्यक्ति या फार्म को किसी ऐसे मध्यस्थता के सम्बंध में भुगतान करने की इच्छा व्यक्त किया है। चाहे सुविधा प्रदान करने अथवा सिफारिश करने की इच्छा व्यक्त किया है। निर्माता /आपूर्तिकर्ता सहमति प्रदान करेगा कि यदि यह किसी समय क्रेता के संतुष्टि में यह सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान घोषणा किसी तरह असत्य है अथवा यदि यह बाद में क्रेता को पता चलता है कि निर्माता/आपूर्तिकर्ता ने किसी ऐसे व्यक्ति/ फार्म को नियुक्त किया है और भुगतान किया है अथवा उसे कोई राशि उपहार पुरस्कार शुल्क, कमीशन अथवा केसीडरेशन से व्यक्ति को पार्टी को फार्म या संस्था को चाहे पहले या बाद में इस अनुबंध के

हस्ताक्षर के उपरोक्त भुगतान करने की इच्छा व्यक्त किया है तो निर्माता /आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह राशि क्रेता को वापस करें। निर्माता /आपूर्तिकर्ता को ऐसे किसी अनुबंध में क्रेता के साथ करने के लिए कम से कम 05 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। क्रेता को यह भी अधिकार होगा कि वह अनुबंध या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निरस्त करने का विचार कर सकता ही और वे बिना किसी इंटाईटलमेंट अथवा निर्माता/आपूर्तिकर्ता को जो ऐसी घटना में उनको क्रेता द्वारा भुगतान की गई सभी राशि वापस करने के लिए प्रतिवर्ष 2% ब्याज दर के साथ लिबोर रेट से अधिक भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। क्रेता को यह भी अधिकार होगा कि ऐसी राशि की वसूली किसी अनुबंध से कर सकता है जो पहले क्रेता के साथ निर्धारित हुआ हो।

#### **एसटी-804 अनुचित प्रभाव/भ्रष्टाचार का प्रयोग:**

(अ) निर्माता/आपूर्तिकर्ता को एक प्रतिज्ञा देनी होगी कि उसने कोई प्रस्ताव या वादा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार इनाम पुरस्कार, उपहार, कमीशन, शुल्क, ब्रोकरेज या क्रेता की सेवा में किसी व्यक्ति को लालच देना अथवा अन्य रूप में अनुबंध प्राप्त करना अथवा ऐसा करने से बाज आना अथवा कार्य किया हो अथवा प्राप्त करने के सम्बंध में कोई कार्य करने के लिए फोरवोर्न करना अथवा क्रेता के साथ अनुबंध निष्पादित करने के लिए प्रदर्शन करना अथवा पक्ष दर्शाने के लिए फोरबियरींग करना, अथवा अनुबंध के सम्बंध में किसी व्यक्ति का डिसफेवर करना अथवा क्रेता के साथ किसी अन्य अनुबंध में पक्षपात करना शामिल नहीं होगा। उपरोक्त कथित प्रतिज्ञा में से किसी का भी उल्लंघन निर्माता /आपूर्तिकर्ता अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अथवा उनकी ओर से कार्य करने वालों कर्मचारी (चाहे वह अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता की जानकारी में हो या न हो) अथवा अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा किये गये किसी अपराध अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा अथवा उनकी तरफ से कार्यरत कोई कर्मचारी जैसा कि भारतीय दंड विधान 1980 के चैप्टर में ix में परिभाषित है अथवा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 अथवा अन्य कोई अधिनियम में संशोधन भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्रेता को अधिकार प्रदान करता है कि वह अनुबंध को निरस्त कर सकता है चाहे वह पूर्ण रूप से हो अथवा निर्माता/आपूर्तिकर्ता से कर सकता है और ऐसे निरस्तीकरण से उत्पन्न किसी हानि राशि की वसूली अनुबंधकर्ता/आपूर्तिकर्ता से कर सकता है। क्रेता का निर्णय अथवा उसके नामिती का निर्णय उस बाद खिलाफी के होने पर आखिरी तथा निर्माता /आपूर्तिकर्ता पर बंधनकारी होंगे।

(ब) निर्माता /आपूर्तिकर्ता, प्रस्ताव नहीं करेगा अथवा क्रेता के किसी व्यक्ति को कोई उपहार या किसी प्रकार का इनाम प्रलोभन देने का विचार करने अथवा कुछ करने के लिए पुरस्कार देना अथवा कार्य करने के लिए फोरबियरींग करना अथवा कार्य किया है या अनुबंध के निष्पादन के लिए किया है। ऐसा करने की सहमति नहीं देगा। निर्माता /आपूर्तिकर्ता या उनके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा या उनकी ओर कार्य करने वाले कर्मचारी (चाहे उनकी जानकारी में हो या न हो) उपरोक्त शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं करेगा। कोई अपराध निर्माता /आपूर्तिकर्ता अथवा उनके द्वारा नियुक्त किये कर्मचारी द्वारा अथवा उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा करने पर भारतीय दंड विधान 1980 के अंतर्गत अथवा सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार का विरोध नियम के अधीन, क्रेता को अधिकार होगा कि वह अनुबंध को निरस्त कर सकता

है चाहे पूर्ण रूप से अनुबंध निरस्तीकरण के कारण होने वाली क्षति की राशि को वसूल कर सकता है इसके साथ ही केवल दंडात्मक क्षति के अलावा उनकी सुरक्षा जमा को जब्त कर सकता है, उनके बैंक गारंटी को नकदीकरण कर सकता है और (क्रेता द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस ले सकता है।

(ब) ऐसे मामले में जमा क्रेता को यह पता चलता है कि निर्माता /आपूर्तिकर्ता ने अनुबंध प्राप्त करने के लिए कोई एजेंट नियुक्त किया है अथवा कमीशन दिया है अथवा किसी व्यक्ति को प्रभावित किया है जैसाकि एजेंट/एजेंसी कमीशन उपबंध और अनुचित प्रभाव का उपयोग करना में वर्जित है। निर्माता/आपूर्तिकर्ता, क्रेता के विशेष निवेदन पर आवश्यक सूचना/सम्बंध वित्तीय दस्तावेज/सूचना का निरीक्षण करने के लिए अधिकार प्रदान करेगा।

### **एसटी-805 भारत सरकार से छूट उपबंध**

यह स्पष्ट रूप से माना जाता है और सहमति मेसर्स (निर्माता/आपूर्तिकर्ता) और माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, डॉकयार्ड रोड, मुंबई 400010 (भारतीय पीएसयू) के बीच है कि वे इस अनुबंध के लिए मुख्य रूप से अपनी तरफ से शामिल हो रहे न कि किसी व्यक्ति अथवा हस्ती के रूप में है। विशेष रूप से यह स्पष्ट माना गया और सहमति है कि भारत सरकार इस अनुबंध में पक्षकार नहीं है और उसे इसके अंतर्गत कोई देयता/जिम्मेदारी/अधिकार नहीं हैं। यह स्पष्ट रूप से व्यक्त और माना गया है और सहमति है कि माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, डॉकयार्ड, रोड मुंबई 400010 (भारतीय पीएसयू) एक स्वतंत्र विधिक हस्ती है जिसके पास अनुबंध में शामिल होने के लिए मुख्य रूप से शक्ति और अधिकार है कि अपनी ओर से भारत के लागू कानून के अंतर्गत और अनुबंध कानून सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप अनुबंध करने के लिए समर्थ है। निर्माता /आपूर्तिकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत, अभिमत और समझते हैं कि माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, डॉकयार्ड रोड मुंबई 400010 (भारतीय पीएसयू) एक एजेंट, प्रतिनिधि अथवा भारत सरकार डेलीगेट नहीं है। यह आगे माना गया तथा सहमति है कि भारत सरकार इसमें शामिल नहीं है और किसी कार्रवाई, गलती और चूक, उल्लंघन और अन्य कोई गलती इस अनुबंध में उत्पन्न होने पर जिम्मेदार नहीं होगी। तदनुसार, (निर्माता /आपूर्तिकर्ता एतदद्वारा स्पष्ट रूप से छूट देंगे। और फोरगोस कोई और सभी कार्रवाई अथवा दावे नहीं करेंगे, जिसमें क्रॉस क्लेम्स, इम्प्लीडर क्लेम्स अथवा काउंटर क्लेम्स भारत सरकार के विरुद्ध इस अनुबंध से उत्पन्न होने पर और प्रतिज्ञा पत्र भी देंगे कि वह भारत सरकार को किसी तरह के दावा कार्रवाई का कारण या कोई भी कार्रवाई इस अनुबंध में उत्पन्न होने पर अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत वाद कायम नहीं करेंगे।

### **एसटी-806 प्रतिबंधित अथवा गैर सूचीबद्ध अनुबंधकर्ता:**

निर्माता एक घोषणा देंगे कि वे किसी सरकार अथवा अर्ध सरकारी एजेंसी अथवा पीएसयू द्वारा प्रतिबंधित या डी-लिस्टेड नहीं है। यदि कोई निर्माता /आपूर्तिकर्ता किसी सहमति/अर्ध सरकारी पीएसयू द्वारा प्रतिबंधित/डी डीस्टेड हुआ हो तो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बताए और यह आवश्यक रूप से एक कारण उनके डिसक्वालीफाई के लिए नहीं हो सकता है।



## एसटी-807

महाप्रबंधक (रूपांकन) की अध्यक्षता में एक जनशिकायत एकक के स्थापना कंपनी में की गई है। सभी सामान्य लोग अपनी शिकायत अथवा ग्रीवसेज के निवारण के लिए अध्यक्ष महोदय से बुधवार को सुबह 10.00 बजे से 12.30 बजे के बीच उनके कार्यालय तीसरा महला रूपांकन कम्प्लेक्स भवन में संपर्क कर सकते हैं अथवा अपनी शिकायत अथवा ग्रीवांसेस उनको लिखित रूप में निवारण के लिए भेज सकते हैं। उनका टेलीफोन न. 022-2373 8152 है।

## **STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SUPPLY (IMPORTED STEEL MATERIALS)**

### **INDEX**

1. GENERAL
2. QUOTATIONS AND ORDER ACCEPTANCE TERMS
3. PACKING, SHIPPING, INSURANCE & FREIGHT DETAILS, AND DELIVERY
4. GUARANTEE / WARRANTY
5. QUALITY CERTIFICATION
6. TERMS OF PAYMENT
7. INSPECTION AND TESTING
8. MISCELLANEOUS

### **ANNEXURE**

1. STACS ACCEPTANCE FORMAT
2. BID BOND / EMD BANK GUARANTEE FORMAT
3. SECURITY DEPOSIT BANK GUARANTEE FORMAT
4. SHIPPING INSTRUCTIONS

### **ST-1 GENERAL**

- **ST-101** The word 'Purchaser' refers to MAZAGON DOCK LIMITED, (MDL), a Company registered under the Indian Companies Act 1913 and it includes its successors or assigns.
- **ST-102** The word 'Manufacturer / Supplier ' means the person / firm / Company who undertakes to manufacture and or supply and or undertake work of any nature assigned by the Purchaser from time to time and includes its successors or assigns.
- **ST-103** The word 'Owner' means the person or authority with whom Mazagon Dock Limited (Purchaser) has contracted to carry out work in relation to which orders are placed by the Purchaser on the Manufacturer / Supplier under this contract for supply or manufacture of certain materials / items and would include Department of Defence Production & Supplies, Ministry of Defence, Government of India, the Indian Navy, the Coast Guard and any other specified authority.
- **ST-104** The Manufacturer / Supplier shall not either wholly or partly sell, transfer, assign or otherwise dispose of the rights, liabilities and obligations under the contract between him and the Purchaser without prior consent of the Purchaser in writing.
- **ST-105** Any letter, facsimile message, e-mail intimation or notice sent to the Manufacturer / Supplier at the last known address mentioned in the offer / order shall be deemed to be valid communication for the purpose of the contract.
- **ST-106** All contracts shall be deemed to have been wholly made in Mumbai and all claims thereunder are payable in Mumbai City and it is the distinct condition of the order that no suit or action for the purpose of enforcing any claim in respect of the order shall be instituted in any Court other than that situated in Mumbai City, Maharashtra State, India.

- **ST-107** The Purchaser reserves the right to accept and or reject any or all tenders and or to withdraw the tender in toto without assigning any reason whatsoever.

## **ST-2. Quotations and Order Acceptance Terms:**

**ST-201** Tenderer shall pay special attention to the following points. Failure to comply with these may disqualify the tenderer.

- a. Tender number and due date to be superscribed on all the envelopes.
- b. Tender to be submitted on or before the due date and time.
- c. Offer to be as per specifications and complying with tender conditions.
- d. The envelopes to be sealed properly.

**ST-202** Unless otherwise stated, the offers shall be in 'Two Bid System' only, in two separately sealed envelopes: -

(a) PART-I - 'Techno-Commercial Bid' and marked thus. In addition, Part-I shall include-

- i. Proforma Price Schedule blanking the prices and indicating 'Quoted / Not Quoted' (as applicable against each item on tender) both on FOB as well as on C & F basis.
- ii. Duties / Taxes, freight charges, insurance and or any other Statutory levies payable, specifying incidence clearly / separately against each head.
- iii. Compliance Statement clearly highlighting deviations / exceptions, if any, to Technical Specifications / Standard Terms and Conditions of Supply, Specific Tender Conditions. Non-specifying of deviations against any or all clauses would be construed as compliance to any / all conditions of tender. Any deviations to STACS, having financial implications, would be considered suitably for loading the quoted price. (STACS Acceptance Format is placed at Annexure 1).
- iv. Earnest Money Deposit @ 2% of the total bid value by way of a bank guarantee from a bank of international repute or value of Bid Bond as stipulated in the tender, to be provided by overseas bidder / supplier as per format provided by the Purchaser. (Format placed at Annexure 2).
- v. Tenderers shall confirm that they are in possession of valid Export Licence and shall be able to obtain necessary export clearances well in time to meet accepted delivery schedule. A copy of the Export Licence is required to be enclosed in support of such confirmation.
- vi. Copy of IS 9000: 2000 or equivalent Quality System Standards certificate valid as of date.
- vii. Delivery Schedule.

(b) PART-II - 'Price Bid' - Quotes to be written in figures and words duly authenticated / signed by the authorised person and marked thus.

## **ST-203**

a) Both these sealed envelopes-Part I and Part II, shall be put in a third envelope duly super scribing the Tender number and Due Date for closing and sealed properly and

deposited as specified in the enquiry by 14.00 hrs in the Tender Box kept at Materials Group, 2nd Floor, Mogul House OR East Yard Commercial Section, VI floor, 'A' Building OR Offshore Commercial Section, 1st Floor, Mazdock House. Overseas Bidders / Tenderers shall forward their offers addressed to Additional General Manager (Materials), Deputy General Manager (Commercial - East Yard) OR Chief Manager (Commercial-Offshore), Mazagon Dock Limited, Dockyard Road, Mumbai 400 010, either by courier service or by speed post so as to reach 48 hours in advance of the due date of tender or by hand delivery before due date and time of tender closing. Purchaser shall not be responsible for any postal / courier delay and it is attributable solely to the tenderer.

b) Offer in "Two Bid System" received by fax / e-mail and or offer received beyond due date and time of tender is liable to be rejected.

**ST-204** (a) The offer shall be valid for 90 days for acceptance and the prices shall remain firm and fixed until delivery of the full quantity of the goods in the Purchaser's Yard. If not, the Manufacturer / Supplier shall indicate the period during which the quoted price shall remain valid for supply of the materials / article/s contracted for supply to Purchaser's Yard for both on FOB as well as on C & F basis.

Should the Purchaser desire postponement of delivery of the materials / article within or beyond validity date of the offer, the Manufacturer / Supplier shall indicate –

i. the date by which such communication must be received by him for deferring delivery without any financial implication to the Purchaser,

**and**

ii. terms and conditions for effecting postponement of delivery beyond the price validity period.

(b) Purchaser reserves the right at his own discretion and without having to assign any reasons-

i. to consider placement of Purchase Order in part or in full against the tendered quantity.

ii. increase or decrease the quantities indicated in the Tender documents depending on actual requirement and subject to finalisation of Project.

iii. apportion the total quantity on order amongst qualified tenderers.

iv. reject the tenders submitted on either FOB basis only or on C & F basis only and or without keeping offer valid as required.

v. conclude contract(s) with successful tenderer(s) on FOB and or on C & F, Mumbai basis at Purchaser's option.

(c) The cost incidence against each head shall be clearly indicated for F.O.B. inclusive of packing, transport and delivery to port of shipment.

## **ST-205**

The Manufacturer / Supplier shall inform the Purchaser in advance in case he is unable to participate in the tender for whatsoever reason. Failure to comply with this will be viewed seriously and consecutive three failure on the part of Manufacturer / Supplier to do so is liable for disqualification / debarring of the Manufacturer / Supplier from all future tender enquiries and or delisting from the list of 'Approved Registered Vendors.'

## **ST-206**

Tenders will be opened on the tender due date after 15.00 Hours in the Materials Purchase-II Floor, Mogul House OR Commercial Section, East Yard OR Offshore Commercial Section, Mazdock House, as the case may be. Only authorised representatives of tenderers are permitted to witness the Part I tender opening, in case of Press Tenders only. Tender opening shall neither be delayed nor withheld / postponed on account of absence of any one or more Tenderers. All the envelopes marked as 'PRICE BID' received at the time of Tender opening will be noted and held unopened separately.

## **ST-207**

In case of only Press Tenders authorised representatives of technically qualified tenderers, who have submitted EMD / Bid Bond, as applicable, and complied with tender terms, will only be permitted to be present and note the proceedings of the Price Bid - Part II opening in a manner as directed by the tender opening officers. Qualifying tenderers not present during price bid opening will not be parted with information on prices at a later date. EMD of unsuccessful tenderers will be refunded only on submission of original copy of 'Money Receipt' / Bid Bond will be returned within seven days of finalisation of order. EMD, if not claimed within one year from the date of notification to the tenderer for refund, will be forfeited.

## **ST-208**

With the acceptance of the successful bidder's offer by the Purchaser, which is as per the Terms and Conditions of the tender, by means of LOI / Purchase Order, the Contract is concluded.

The Manufacturer / Supplier shall, on receipt of the Purchase Order, communicate his unconditional acceptance within two weeks of from the date of mailing / receipt of the same in its entirety, duly signed by the authorised person and without any qualification. Communicating acceptance of the Purchase Order subject to any other terms and conditions of the contract on the part of the Manufacturer / Supplier shall not bind the Purchaser in respect of those conditions which are less favourable to the Purchaser as compared with the conditions mutually agreed to and or stipulated in the Purchase Order. It shall be the responsibility of the Manufacturer / Supplier to enumerate specifically any error or discrepancy in the Purchase Order at the time of acceptance. Failure to do so shall make the Purchase Order binding on the Manufacturer / Supplier in all respects.

Any delay in acknowledging the receipt of the Purchase Order within the specified time limit or any qualification or modification of the Purchase Order in the acknowledgement of the Purchase Order by the Manufacturer / Supplier shall be a breach of the contract on the part of Manufacturer / Supplier. Compensation for the loss caused by the breach will be recovered by the Purchaser by forfeiting the Earnest Money, invoking Bid Security / Bid Bond given by the Manufacturer / Supplier. If the Manufacturer's / Supplier's bid contains

any condition and any correspondence which are contrary to the Notice Inviting Tender (NIT) then they shall be considered as superseded and void on the acceptance of the bid by the Purchaser.

Recovery of compensation by the Purchaser from the Manufacturer / Supplier by forfeiting the Earnest Money or by invoking the Bid Security / Bid Bond shall be regarded as cancellation of the contract which has come in to existence on the acceptance of the offer by the Purchaser.

### **ST-209 Security Deposit**

The successful overseas Tenderer is required to submit Security Deposit @ 5% of the value of the Order in the form of Bank Guarantee by a bank of international repute, drawn in favour of Purchaser. The format for the same will be provided by the Purchaser (Annexure - 3). The Bank Guarantee will be returned only after the successful execution of the order. In the event of failure to execute the order satisfactorily or default by the Manufacturer / Supplier, the Security Deposit will be forfeited.

### **ST-210**

Tenderers shall quote for invoicing against the supplies to be made on THEORETICAL weight basis only. (Weight @ 7.85 Metric Ton / Cubic Metre only will be considered). In case offer is made on 'Actual Weight Basis,' prices on Theoretical Weight basis will be computed by adding 3% of quoted prices towards difference in weight for the purpose of evaluation of offers. In the absence of any mention about basis for invoicing, it will be assumed that invoicing will be on Theoretical Weight Basis only.

### **ST-211**

Order will generally be placed on FOB basis. However, at Purchaser's discretion, Order may be amended / converted to C & F basis also. The shipment to be consigned to CFS, Mulund, Jawaharlal Nehru Port for container cargo and Mumbai Port for break bulk cargo unless or otherwise indicated in the Purchase Order.

### **ST-3 Packing, Shipping, Insurance & Freight details and Delivery:**

#### **ST-301**

Thinner Plates (i.e. Sheets) in thickness between 2 mm and 5 mm shall be packed in bundles and strapped at intervals of 1.5 Mtrs. lengthwise to protect from buckling during handling and transit. Each bundle shall have plates of same size and specification and shall not weigh more than 2 tonnes.

#### **ST-302**

Every package shall contain a packing list in triplicate and the order number, package number, number of pieces in the consignment, description and quantity of each item packed shall be clearly shown in the packing list. The description and quantity of each item shall tally with that specified in the order, wherever applicable.

### **ST-303**

Storage and Demurrage will be claimed from the Manufacturer / Supplier for all shipments that reach the Purchaser without proper despatch documentations and not accompanied by packing lists, invoices etc. The Manufacturer / Supplier shall be responsible for such fines due to errors or omissions in description, weight or measurements and for increased handling charges due to improper packing.

### **ST-304 Shipping Instructions:**

Shipments to be arranged as per shipping instructions detailed in Annexure - 4 to these '*Standard Terms and Conditions of Supply*'.

- i. Shipping arrangement of the consignment will be arranged by M/s. Transchart, Ministry of Surface Transport, New Delhi, through nominated Forwarding Agent. The Consignment has to be handed over to the respective forwarding Agents for onward despatch to Mumbai, India on Freight to collect basis, if the Contract / Order is on FOB terms.
- ii. In the event, the order is placed on C & F basis, the Insurance Premium will also be borne by MDL, as such it must be ensured that shipment is made on Vessels not more than 15 years old. If shipment is made on Vessels over 15 years, the difference between the Normal and Overage Insurance Premium applicable to such Vessels will have to be borne by the Manufacturer / Supplier.

### **ST-305 Insurance**

Transit Insurance shall be arranged by Purchaser. Manufacturer / Supplier shall immediately on despatch of the items, inform the despatch details such as Order number, Bill of Lading number, number of packages, value of consignment, invoice number directly to New India Assurance Company Limited, General Insurance Department, Commerce Centre, First Floor, Tardeo, Mumbai - 400 034, Fax no.: 91-022-494 8559 and quoting our air / marine insurance policy number 130500 11 00 00126 dated: 25.08.2000.

### **ST-306**

Where so stipulated in the order, the Manufacturer / Supplier shall render such reports from time to time as regards the progress of the contract and in such a form as may be called for by the Purchaser. The Purchaser reserves the right to cancel an order forthwith without any financial implications on either side, if on completion of 50% of the scheduled delivery period the progress of manufacture is not to the satisfaction of Purchaser / Owner and failure on the part of the Manufacturer / Supplier to comply with the delivery schedule is inevitable. In such an event the Manufacturer / Supplier shall repay all the advances together with interest at prevailing bank rates (presently @ 14.5% p.a.) from the date of receipt of such advances till date of repayment.

## **PE-4.0 Guarantee / Warranty**

### **ST-401**

Inspection and approval of the materials / items by the Inspecting Authority/ies does not absolve the Manufacturer / Supplier of the responsibility of guarantee for the materials / items. It will be the sole responsibility of the Manufacturer / Supplier to ensure that the materials / items supplied are complete in all respects and perform / meet their designed physical / chemical parameters.

### **ST-402**

Defects notified, if any, are not remedied within a reasonable / stipulated time, the Purchaser may proceed to rectify the defects at the Manufacturer's / Supplier's risk and cost and or encash the Performance Bank Guarantee, but without prejudice to any other rights which the Purchaser may have against the Manufacturer / Supplier in respect of the failure of the Manufacturer / Supplier to remedy such defects. The Purchaser's decision shall be final and binding on Manufacturer / Supplier in this regard.

### **ST-403**

The defective / rejected material noticed during receipt inspection stage or at manufacturing stage will be returned to Manufacturer / Supplier, if so desired by him, on FOB basis only and through nominated shipping agent to facilitate replacement. In the event Manufacturer / Supplier is not desirous of taking away the rejected material for any reason whatsoever, the applicable customs duty that will become payable shall be paid by / recoverable from the Manufacturer / Supplier.

## **ST-5.0 Quality Certification:**

### **ST-501**

Purchase preference will be considered in case the Manufacturer / Supplier is accredited with ISO 9000: 2000 or equivalent International Quality System Standards in respect of equipment / Products and or items on tender.

### **ST-502**

The Manufacturer / Supplier shall submit as proof, in Part-I of the bid documents, a copy of ISO 9000: 2000 or equivalent international Quality System Standards certificate valid as of date.

### **ST-503**

The Manufacturer / Supplier shall engage sub-contractors and avail supplies from suppliers with prior approval of Purchaser and such sub-contractors and suppliers shall also be accredited with ISO 9000: 2000 or equivalent international Quality System Standards.



## **ST-504**

In the event the Manufacturer / Supplier is not being ISO 9000: 2000 accredited firm, the fact shall clearly be stated and the Quality Assurance / Quality Control organisation of the company be described in detail. Pursuant to scrutiny of such statement / documentation, the Purchaser may decide to accept the offer with pre-conditions specified for acceptance or reject the bid submitted.

## **ST-6.0 Terms of Payment:**

### **ST-601**

Unless or otherwise mutually agreed upon and stipulated in the Purchase Order, 90% payment of the Purchase Order value shall be made on collection basis within 30 days on presentation and receipt of the following documents by the Purchaser's Bankers. Letter of Credit will permit partial shipment.

- a. Original and four copies of Clean Bill of Lading / Airway Bill.
- b. Six copies of invoice showing item wise FOB prices along with packing lists.
- c. Certificate confirming that Manufacturer/Supplier have air-mailed directly to Purchaser the following non-negotiable shipping documents immediately on shipment: -
  - i. 3 Copies of Bill of Lading
  - ii. 3 Copies of Invoices.
  - iii. 2 Copies of Packing List.
  - iv. Copies of Certificate of Country of Origin issued by the Chamber of Commerce.
  - v. 3 Copies of Mill's Certificates / Manufacturer's Test Certificates.
  - vi. 3 Copies of Inspection Certificates.
  - vii. Manufacturer's / Supplier's certificate of Inspection and Approval as per Clause. No.ST-7.
  - viii. Manufacturer's / Supplier's warranty valid for three years from date of delivery against manufacturing defects.
- d. A Certificate along with Shipping Documents as under: -

"Certified that the goods shipped have been inspected and approved by the prescribed inspection authority in accordance with the terms of the contract / purchase order and required copies of the Inspection Certificates issued in this regard are enclosed."

- e. Certificate of country of origin, in triplicate issued by the Chamber of Commerce.
- f. Warranty certificate, in triplicate.

- g. Six copies of Manufacturer's Test Certificate / Mill's Test Certificate.
- h. Three copies of Certificate of Inspection and Approval from ABS / LRS / DNV/ BV / DOT / NMD or any other nominated Inspection Authority, (whichever is applicable).
- i. Certificate regarding Liquidated Damage/ Penalty vis-à-vis delivery schedule.

All the documents -Invoices, Packing Note and Bill of Lading clearly indicate the Purchaser's Order number, Import Licence Number, Bill of Lading Number and Date on Invoice and Packing Lists.

Balance 10% payment would be remitted through Bank Transfer after successful completion of receipt inspection at Purchaser's Yard after deducting liquidated damages as applicable and other deductions, if any, shall be recovered from the supplier.

### **ST-602 Liquidated Damages / Risk Purchase:**

ST-602.1 In the event that-

- a. Manufacturer / Supplier (Seller) fails to deliver the materials / items or documentation meeting the requirement of the Purchase Order on or before dates specified, or
- b. the materials / items when tested in accordance with the performance requirement of the Purchase Order, fails to meet those performance parameters, the buyer (Purchaser) will suffer damages in an amount that is not susceptible to calculation with reasonable certainty. Therefore, any Liquidated Damages set forth in this Purchase Order represent a reasonable determination of the amount of damages that the Purchaser will suffer, and are not penalties. Seller hereby waives any defence to Purchaser's recovery of such Liquidated Damages on the plea that actual damages are ascertainable or that such Liquidated Damages do not represent a reasonable determination of damages suffered by Purchaser or are penalties.

### **ST-602.2**

Manufacturer / Supplier will be liable to pay Liquidated Damages for late delivery of materials / items / documentation as stated in the Purchase Order. Unless otherwise expressly specified, the rate of Liquidated Damages for late delivery of product shall be at the rate of 0.5% of the total price of undelivered product per week of delay upto a maximum of 5% of the value of undelivered product. Such Liquidated Damages shall be deducted by the Purchaser from any monies due to Manufacturer / Supplier. Payments made by the Manufacturer / Supplier of Liquidated Damages shall be in addition to any other remedies (other than any other remedy for the recovery of damages) available to the Purchaser, including without limitation the remedy of cancellation of Order for default.

### **ST-602.3**

If the materials / items or any portion thereof be not delivered by the scheduled delivery date, the Purchaser shall be at liberty, without prejudice to the right of the Purchaser to recover Liquidated Damages / penalty as provided for in these conditions or to any other remedy for breach of contract, to terminate the contract either wholly or to the extent of such default. Amounts advanced or part thereof corresponding to the undelivered supply shall be recoverable from the Manufacturer / Supplier at the prevailing bank rate of interest (currently @ 14.5% p.a.).

### **ST-602.4**

The Purchaser shall be at liberty to purchase or supply from stock as it deems fit, other materials / items of the same or similar description to make good such default and or deficiency and or in the event of the contract being terminated, the balance of the materials / items of the remaining to be delivered there under. Any excess over the purchase price or value of any materials / items supplied from the stock, as the case may be, over the contract price shall be recoverable from the Manufacturer / Supplier.

### **ST-603**

The amount under the contract will be paid through a Usance Letter of Credit. However, interest for the usance period will be borne by the Purchaser. This arrangement for credit period of 180 days will be made between the Purchaser's bankers and the Manufacturer's / Supplier's bankers. The Manufacturer / Supplier shall furnish the name and the branch of the bank they have dealings with along with a no objection letter to avail such a facility by the Purchaser.

### **ST-604**

Payments made under Purchaser's one order shall not be assigned or adjusted to any other order except to the extent agreed upon in writing by the Purchaser

### **ST-7.0 Inspection and Testing:**

#### **ST-701**

The Steel materials on order will be inspected by one or more agencies indicated below for Quality and Quantity and an inspection certificate(s) shall accompany the equipment.

Statutory : D. O. T. or N. M. D. or Governmental Agency.

Regulatory: Classification Society - L. R. S., A. B. S., D. N. V., B. V., etc.

Others : Owners, W. P. S. (Mb), MDL.

#### **ST-702**

It shall be the responsibility of the Manufacturer / Supplier to ensure that only such Steel materials as have been duly inspected, approved and certified by the Inspecting Authority, are shipped.

### **ST-703.**

The Manufacturer / Supplier will have to also ensure that the Material to be supplied for receipt in Purchaser's yard must be in freshly rolled / produced condition or not earlier than 3 to 6 months old and conforming to quality of surface as specified in the Contract / Purchase Order / relevant Specification Standards. Material supplied will also be inspected on receipt in Purchaser's Yard by its representative / representative of its customer to establish the condition and correctness of material and documentations supplied for each consignment.

### **ST-704.**

The Manufacturer / Supplier will have to also ensure that the following requirements are to met with and are to be overseen by the Inspection Authority –

- a. All Plates / Sections will have to be inspected and stamped by third party inspection agencies / Classification Society as per Purchaser's order requirements, with Certification that all tests having been carried out as per specification.
- b. Rimmed or capped Steel shall not be supplied / not acceptable. The material supplied is to be certified as sound and free from impurities and manufacturing defects, such as segregations, cracks, and laminations or surface flaws as might preclude their use for Shipbuilding application.
- c. Each piece of Plate / Section shall be legibly marked preferably by Hard Die Stamping for Heat / Cast Numbers / Plate Numbers for identification and by which the Steel can be related to the relevant Test Certificates.
- d. Manufacturers / Suppliers must supply duly signed relevant Test Certificates indicating the process of manufacturing, results of Chemical and Mechanical Tests including all specified tests for the material. Each Test Certificate shall bear the heat number and other identification marks such that the same shall be co-related with the material. Each Test Certificate 'MUST' bear Purchaser's Order Number.
- e. Test Certificates by the LRS / ABS / Classification Society /Nominated Inspection Agency must be provided in addition to the Mills' Quality Control Certificates endorsed by the Inspection Agency, in confirmation of having inspected the Steel as per specificational requirements.

### **ST-705**

The decision of the inspecting authority or his agent, as the case may be, on any question of the intent, meaning and the scope of specifications / standards shall be final, conclusive and binding on the Manufacturer / Supplier.

## **ST-706**

The Manufacturer / Supplier shall accord all facilities to Purchaser's / Owner's Inspectors / Nominated Agency to carry out Inspection / Testing during course of manufacture and final testing at Manufacturer's / Supplier's Works.

## **ST-8.0 Miscellaneous:**

### **ST-801 Force Majeure**

If at any time during the execution of the supply order, the performance in whole or in part by either Purchaser or and by the Manufacturers / Suppliers is / are prevented or delayed by any reason of force majeure situations such as acts of public unrest, civil commotion, sabotage, hostilities, war, fires, explosions, epidemics, quarantine restrictions, strikes, lock outs, natural calamities like floods, earthquakes, volcanoes, storms or any other causes beyond the control of either parties, hereinafter referred to as "events", provided notice of the occurrence of such event/s is / are communicated by either party, to the other party within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall by reason such events be entitled to terminate the contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non performance and or delay in performance of the contract / order. Executions on either side shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist and the decision of Purchaser as to whether activities can resume or not, shall be conclusive and final.

The performance in whole or in part under the captioned tender / contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding sixty days either party may at its option terminate the contract / further processing of the tender.

The Purchaser may extend the delivery schedule as mutually agreed, on receipt of written communication from the Manufacturer / Supplier regarding occurrence of 'Force Majeure' conditions, but not exceeding six months from the scheduled delivery date. If the 'Force Majeure' conditions extend beyond this period, the Purchaser shall have the right to cancel the order without any financial implication to the Purchaser or on terms mutually agreed to.

### **ST-802 Arbitration**

Any dispute / differences between the parties arising out of and in connection with the contract shall be settled amicably by mutual negotiations. Unresolved disputes/ differences, if any, shall be settled by Arbitration and the arbitration proceedings shall be conducted at Mumbai (India) in English language, under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996.

In case of unresolved difference / dispute between Purchaser and Manufacturer/ Supplier, being a Public Sector Enterprise, shall be referred by either party to the Department of Public Enterprises, as per extant guidelines.

### **ST-803 Agents / Agency Commission:**

The Manufacturer / Supplier shall confirm and declare to the Purchaser his genuine status as either the original manufacturer of equipment or as the stockist / supplier of the

equipment / machinery / items referred to in this contract and that he has not engaged any individual or firm, whether Indian or foreign whatsoever, to intercede, facilitate or in any way to recommend to the Purchaser or any of its functionaries, whether officially or unofficially, to the award of the contract to the Manufacturer / Supplier nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual or firm in respect of any such intercession, facilitation or recommendation. The Manufacturer / Supplier shall agree that if it is established at any time to the satisfaction of the Purchaser that the present declaration is in any way incorrect or if at a later stage it is discovered by the Purchaser that the Manufacturer / Supplier has engaged any such individual / firm, and paid or intended to pay any amount, gift, reward, fees, commission or consideration to such person, party, firm or institution, whether before or after the signing of this contract, the Manufacturer / Supplier shall be liable to refund that amount to the Purchaser. The Manufacturer / Supplier will also be debarred from entering into any supply contract with the Purchaser for a minimum period of five years. The Purchaser will also have a right to consider cancellation of the contract either wholly or in part, without any entitlement or compensation to the Manufacturer / Supplier who shall in such event be liable to refund all payments made by the Purchaser, along with interest at the rate of 2% per annum above the LIBOR rate. The Purchaser will also have the right to recover any such amount from any contracts concluded earlier with the Purchaser.

**ST-804 Use of Undue Influence / Corrupt Practices:**

- a. The Manufacturer / Supplier should give an undertaking that he has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any gift, consideration, reward, commission, fees, brokerage or inducement to any person in service of the Purchaser or otherwise in procuring the contract or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of the Contract with the Purchaser for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the Contract or any other Contract with the Purchaser. Any breach of the aforesaid undertaking by the Manufacturer / Supplier or any one employed by him or acting on his behalf (whether with or without the knowledge of the Manufacturer / Supplier) or the commission of any offence by the Manufacturer / Supplier or any one employed by him or acting on his behalf, as defined in Chapter IX of the Indian Penal Code, 1980 or the Prevention of Corruption Act, 1947 or any other Act enacted for the prevention of corruption shall entitle the Purchaser to cancel the contract and all or any other contracts with the Manufacturer / Supplier and recover from the Manufacturer / Supplier the amount of any loss arising from such cancellation. A decision of the Purchaser or his nominee to the effect that a breach of the undertaking has been committed shall be final and binding on the Manufacturer / Supplier.
- b. The Manufacturer / Supplier shall not offer or agree to give any person in the employment of Purchaser any gift or consideration of any kind as "Inducement" or "reward" for doing or forbearing to do or for having done or foreborne to do any act in relation to the obtaining or execution of the contract/s. Any breach of the aforesaid condition by the Manufacturer / Supplier or any one employed by them or acting on their behalf (whether with or without the knowledge of the Manufacturer / Supplier) or the commission of any offence by the Manufacturer / Supplier or by any one employed by them or acting on their behalf which shall be punishable under the Indian Penal Code 1980 or the Prevention of Corruption by Public Servants, shall entitle Purchaser to cancel the contract/s and all or any

other contracts and then to recover from the Manufacturer / Supplier the amounts of any loss arising from such contracts' cancellation, including but not limited to imposition of penal damages, forfeiture of Security Deposit, encashment of the Bank Guarantee and refund of the amounts paid by the Purchaser.

- c. In case, it is found to the satisfaction of the Purchaser that the Manufacturer / Supplier has engaged an Agent or paid commission or influenced any person to obtain the contract as described in clauses relating to Agents / Agency Commission and use of undue Influence, the Manufacturer / Supplier, on a specific request of the Purchaser shall provide necessary information / inspection of the relevant financial document / information.

### **ST-805 Immunity of Government of India Clause**

It is expressly understood and agreed by and between M/s. (Manufacturer / Supplier) and Mazagon Dock Limited, Dockyard Road, Mumbai - 400 010 (the Indian PSU) is entering into this Agreement solely on its own behalf and not on the behalf of any person or entity. In particular, it is expressly understood and agreed that the Government of India is not a party to this Agreement and has no liabilities, obligations or rights hereunder. It is expressly understood and agreed that Mazagon Dock Limited, Dockyard Road, Mazagaon, Mumbai - 400 010 (the Indian PSU) is an independent legal entity with power and authority to enter into contracts solely in its own behalf under the applicable of Laws of India and general principles of Contract Law. The (Manufacturer / Supplier) expressly agrees, acknowledges and understands that Mazagon Dock Limited, Dockyard Road, Mazagon, Mumbai- 400 010 (the Indian PSU) is not an agent, representative or delegate of the Government of India. It is further understood and agreed that the Government of India is not and shall not be liable for any acts, omissions and commissions, breaches or other wrongs arising out of the contract. Accordingly, (Manufacturer / Supplier) hereby expressly waives, releases and foregoes any and all actions or claims, including cross claims, impleader claims or counter claims against the Government of India arising out of this contract and covenants not to sue Government of India in any manner, claim, cause of action or thing whatsoever arising of or under this Agreement.

### **ST-806 Banned or de-listed Contractors:**

The bidders shall give a declaration that they have not been banned or de-listed by any Government or quasi Government agencies or PSUs. If a bidder has been banned or de-listed by any Government or quasi Government agencies or PSUs, this fact must be clearly stated and it may not necessarily be a cause for disqualifying him.

### **ST-807**

A Public Grievance Cell headed by General Manager (Design) has been set up in the Company. Members of public having complaints or grievances are advised to contact him on Wednesday between 10.00 hours and 12.30 hours in his office on 3rd floor, Design Complex Building or send their complaints / grievances to him in writing for redressal. His Telephone No. is 373 8152.

GNS: 18.12.2001